[भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 9 /2019- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई, 2019

सा. का. नि.......(अ.).- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का (12की धारा (5) की उप धारा 15, धारा (1) की उप धारा 16 और धारा 148 के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्यों (iii), (iv) और (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना संख्या 8/2017 - एकीकृत कर (दर), दिनांक जून 28, 2017, जिसे सा.का.नि. 683(अ), दिनांक जून 28, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खड-(i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा-:

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में, क्रम संख्या 3 के समक्ष, मद (ie) और (if) में, कॉलम (5) के प्रविष्ट में जहां-जहां भी अंक और अक्षर ''10'' आए हों वहां-वहां उनके स्थान पर अंक और अक्षर ''20'' प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) अनुबंध IV में, अंक और अक्षर ''10'' के स्थान पर अंक और अक्षर ''20'' प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा.सं.354/32/2019-टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: -प्रधान अधिसूचना संख्या 8/2017 - एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 683(अ), 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया

गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 3/2019- एकीकृत कर (दर), दिनांक 29 मार्च, 2019, सा.का.नि. 256(अ), दिनांक 29 मार्च, 2019 के तहत, के द्‌वारा संशोधन किया गया है।